न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 088 / 2016

वादीगण	प्रतिवादीगण
1 लक्ष्मणराम दतक पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला — पाली (राज0)	1 ढगलाराम पुत्र नेनराम,
	2 मदनलाल पुत्र सुजाराम,
	3 केवलचंद पुत्र सुजाराम जातिया माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली(राज0)
	4 तहसीलदार(भूमि धारक)सोजत

1. श्री सोहनलाल गोराणा, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री मांगीलाल चौहान अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—: निर्णय :— दिनांक 25.02.2019

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत मे स्थित खसरा नंबर 2079 रकवा 0.3100 हैक्टर किस्म मेहन्दी, खसरा नंबर 2080 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम तथा खसरा नंवर 2081 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल किता 3 रकबा 0.7600 हैक्टर की वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित हे। इसी प्रकार सोजत चक प्रथम की खसरा नंबर 1998 रकबा 0.1200 हैक्टर चाही प्रथम,खसरा नबर 2045 रकवा 0.1900 हैक्टर चाही प्रथम,खसरा नंबर 2046 रकबा 0. 2500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल कुल किता 3 रकवा 0.5600 हैक्टर की भूमि वाके स्थित है । उक्त भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम की तथा वादी लक्ष्मणराम दतक पुत्र धन्नाराम के स्थान पर सेवन से लक्ष्मणराम पुत्र अन्नाराम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की स्थित है। नेनाराम के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ढगलाराम, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता सुजाराम व धन्नाराम है, सुजाराम व धन्नाराम का देहान्त हो गया है। सुजाराम के देहान्त के पश्चात नामान्तरणकरण संख्या 3672 दिनाक 03/6/2014 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जा चुका है। धन्नाराम व नेनाराम का देहान्त दिनांक 31/12/1971 को हो चुका है तथा धन्नाराम की पत्नि पुकली का भी देहान्त दिनांक 28/2/1987 को हो चुका है। पुकली ने अपने जीवनकाल में स्वर्गिय धन्नाराम की इच्छा से वादी लक्ष्मणराम को गोद लिया तथा गोदनामा दिनांक 23/02/1987 को गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया । तब से वादी लक्ष्मणराम दतक पुत्र धन्नाराम के नाम से जाति समाज व राज तेज पंच पंचायती में जाना पहचाना जाता है। खसरा नंबर 2079, 2080 ,2081 में बतौर दतक पुत्र के इन्द्राज है। धन्नाराम के देहान्त के बाद खसरा नंवर 2080,2081,2079 में धन्नाराम की पत्नी पुकली पत्नी धन्नाराम के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया तथा खसरा नंबर 1998, 2045, 2046 मे सेव से पुकली बेवा धन्नाराम दर्ज कर दिया, जबकि पुकली बेवा धन्नाराम के नाम खातेदारी मे अंकित करना चाहिए था। जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 तथा 2054 से 2057 की पादपत्र के साथ पेश की है। पुकली के देहान्त के बाद खसरा नंबर 2080,2081, व 2079 में पुकली बेवा धन्नाराम के स्थान पर वादी का नाम लक्ष्मणराम दतक पुत्र धन्नाराम के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2054 से 2057 में नामान्तरणकरण संख्या 1220 दिनांक 20/9/1998 को सही दर्ज किया था,लेकिन पुकली बेवा अन्नाराम सेव से राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 1998,2045,2046 में इन्द्राज होने से पुकली के देहान्त के बाद राजस्व रेकर्ड में भी जरिये म्यूटेशन संख्या 1220 दिनांक 26/9/1998 को सेव से लक्ष्मणराम दतक पुत्र अन्नाराम दर्ज कर दिया,जबकि अन्नाराम नाम का कोई व्यक्ति नही था। बल्कि धन्नाराम था तथा वादी धन्नाराम का दतक पुत्र है।इसलिए राजस्व रेकर्ड में खसरा नबर 1998,2045,2046 की भूमि का खातेदार काश्तकार लक्ष्मणराम दतक पुत्र अन्नाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम दतक पुत्र धन्नाराम दर्ज करना आवश्यक एव न्याय संगत है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर खातेदारी हकूक की डिकी बहक वादीह विरूद्व प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर फरवाई जाकर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 1998, 2045 व 2046 की भूमि में वादी का नाम लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र अन्नाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की ईश्तदुआ की है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिकी किये जाने तथा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तथा स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री पारित कर उक्तानुसार दुरूस्ती इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बावजूद तामिली / सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.08.2016 को की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगणने दिनाक 14.07.2017 को ज0दा0 पेश कर वादपत्र के पद संख्या 01 के तथ्य सही होने से स्वीकार है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम मे स्थित खसरा नम्बर 2079 रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म मेहन्दी, खसरा नम्बर 2080 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम की वादी लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम के स्थान पर सेव से लक्ष्मणराम पुत्र अनाराम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र के ज0दा0 के पद सख्या 2 सही होने से स्वीकार किया है कि नेनाराम के तीन पुत्र प्रतिवादीसंख्या 1 ढगलाराम प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के पिता सुजाराम तथा धन्नाराम है। सुजाराम व धन्नाराम का देहान्त हो गया है। सुजाराम के देहान्त के पश्चात नामान्तरण्करण संख्या 3672 दिनांक 03.06.2014 के अनुसार प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्दाज किया जा चुका है। धन्नाराम पुत्र नेनाराम का देहान्त दिनाक 31.12.1971 को हो चुका है तथा धन्नाराम की पत्नि पुकली का भी देहान्त दिनाक 28.02.1987 को हो चुका है। पुकली ने अपने जीवनकाल में स्वर्गीय धन्नाराम की इच्छा से वादी लक्ष्मणराम को गोद लिया तथा गोदनामा दिनाक 23.02.1987 को रजिस्टर्ड करवाया। तब से वादी लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम के नाम से जाति समाज व राज तेज पंच पंचायती में जाना पहिचाना जाता है तथा खसरा नम्बर 2079, 2080, 2081 मे बतौर दत्तक पुत्र के इन्द्राज है। परिवादी द्वारा यह स्वीकर किया है कि धन्नाराम के देहान्त के बाद खसरा नम्बर 2080, 2081, 2079 मे धन्नाराम की पत्नि पुकली पत्नि धन्नाराम के नाम खातेदारी मे दर्ज किया गया तथा खसरा नम्बर 1998, 2045, 2046 में सेवन से पुकली बेवा धन्नाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में पुकली बेवा अन्नाराम दर्ज कर दिया । जबकि पुकली बेवा धन्नाराम के नाम खातेदारी अंकित करना चाहिए था। इस प्रकार ज0दा0 पेश कर सरहद मौजा -- सोजत चक प्रथम मे स्थित खसरा नम्बर 1998, 2045, 2046 की भूमि में वादी का नाम लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र अनाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड मे उक्तानुसार दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपति नही होना अंकित कर स्वीकारोक्ति / सहमति अंकित की है। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 15 नियम 1 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त अनवान का वाद आदेश 7 सीपीसी के तहत पेश किया जिसका आदेश 8 सीसीपी के तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना ईकवाली ज0दा0 पेश कर दिया तथा 02 व 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चूकी है। जिसके फलस्वरूप आदेश 14 सीपीसी के तहत कोई विवाद शेष नहीं रहता है। वाद में न ही विवाद्यक बिन्दु तय करने की आवश्यकता है तथा न ही किसी साक्ष्य पेश करने की आवश्यक रहती है। जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 15 (1) सीपीसी का स्वीकार कर वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है।

तहसीलदर, सोजत को तहरीर पत्र कमाक/कोर्ट/2019/34 दिनांक 16.01.2019 तथा स्मरण पत्र कमाक/कोर्ट/2019/96 दिनांक 04.02.2019 भेजकर विवादित भूमि की बरूबे राजस्व रेकर्ड एवं भूमि मौके की जॉच कर वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/19/160 दिनांक 21.02.2019 द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जॉच करवाकर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट फर्द मौका दिनांक 12.02.2019 में अंकित किया है कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 2079 रकबा 0.3100 खसरा नम्बर 2080 रकबा 0.2000 खसरा नम्बर 2081रकबा 0.25 कुल 3 कुल रकबा 0.7600 ढगलाराम पुत्र नेनाराम मदनलाल केवलचन्द पि. सुजाराम लक्ष्मण दत्तक पुत्र धन्नाराम कौम माली सा0 देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 1998 रकबा 0.1200 खसरा नम्बर 2045 रकबा 0.1900 खसरा नम्बर 2046 रकबा 0.2500 कुल 3 कुल रकबा 0.5600 ढगलाराम पुत्र नेनाराम मदनलाल केवलचन्द पिता सुजाराम लक्ष्मणराम दतक पुत्र अनाराम कौम माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खातेदारो का ही कब्जा काश्त है। राजस्व रेकॉर्ड के खसरा नम्बर 2079, 2080, 2081 से इनके सह खातेदारों में लक्ष्मणराम दतक पुत्र धनाराम दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 1998 ,2045, 2046 में लक्ष्मणराल दतक पुत्र अनाराम दर्ज है। मौके पर उपस्थित मदनलाल पुत्र सुजाराम, लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धनाराम तथा गणपतलाल पुत्र नारायणलाल कौम माली ने बताया कि अनाराम और धनाराम एक ही आदमी है तथा इनका गोदी पुत्र लक्ष्मणराम है। उक्त सभी सह खातेदारों में लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धनाराम का ही कब्जा काश्त है तथा उपस्थित ने बताया कि अनाराम नाम का कोई दुसरे व्यक्ति का कब्जा काश्त नही है, वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सा0मि0 है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि उक्त वाद में चूकि प्रतिवादी संख्या 01 ने ईकबालिया ज0दा0 पेश कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 तथा 4 बावजूद तामिलि / सूचना बार – बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

एकपक्षीय कार्यवाही क्रमशः दिनांक 29.08.2016 व 15.03.2017 को की गई है। फलस्वरूप विवाद्यक बिन्दु शेष नही रहने से अर्थात कोई विवाद शेष नही रहने से उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र अन्नाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । साथ ही रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने तथा वादी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की जॉच कर प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्टनुसार वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो चुकी है, लिहाजा तदानुसार राजस्व रेकॅर्ड मे इन्द्राज किये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जिसमें अधिवक्ता प्रति0 सं0 01 ने स्वीकारोक्ति / सहमति व्यक्त की है। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0–1 लक्ष्मणराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्र व मुख्य शपथ पत्र दिनांक 18.12.2018 से संपुष्टि हुई है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद– पत्र मय शपथ – पत्र एवं दस्तावेजात, ईकबालिया ज0दा0 प्रति संख्या 01 तस्दीकसुदा शपथ–पत्र पी0डब्ल्यु–1 लक्ष्मणराम प्रा0पत्र आदेश 15 (1) सीपीसी तथा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की राजस्व व मौका रिपोर्ट बाद जॉच फर्द मौका दिनांक 12.02.2019 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाए पर भी गौर किया गया। वस्तुतः आदेश 15 नियम (1)सीपीसी का प्रस्तुत प्रा0 पत्र न्यायोचित एवं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा दस्तावेजात पजीबद्ध गोदनामा अनुसार भी जागन्दा पुत्र दलजी तथा गोदी पुत्र धन्नाराम होने की संपुष्टि हो चुकी है, लिहाजा माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाना यथा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 1998, 2045 व 2046 कुल किता 3 रकबा 0.5600 हैक्टर चा0 प्रथम की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र अन्नाराम के स्थान पर लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम दुरूस्त रूप से दर्ज करवाया जाना उचित समझते है।

—::आदेश ::—

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा – सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 1998, 2045 व 2046 कुल किता 3 रकबा 0.5600 हैक्टर चा0प्रथम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादी चूंकि पंजीबद्ध गोदनामा एवं तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की राजस्व रेकर्ड एव मौका रिपोर्टानुसार वादी नाम लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम ही होना बखूबी प्रमाणित है। लिहाजा गलत रूप से दर्ज लक्ष्मणराम पुत्र अन्नाराम के स्थान पर सही व वास्तविक लक्ष्मणराम पुत्र धन्नाराम दुरूस्त दर्ज किया जावे। वादी लक्ष्मणरामपुत्र धन्नाराम को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार, सोजत को तहरीर के साथ पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(आशु स्वामी)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को राई ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(आशु स्वामी)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

वादीगण	प्रतिवादीगण
1 लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला – पाली (राज0)	1 ढगलाराम पुत्र नेनराम, 2 मदनलाल पुत्र सुजाराम, 3 केवलचंद पुत्र सुजाराम जातिया माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली(राज0) 4 तहसीलदार(भूमि धारक)सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– 88 / 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता सोहनलाल गौररणा अधिवक्ता वादी तथा श्री मांगीलाल चौहान अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा – सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 1998, 2045 व 2046 कुल किता 3 रकबा 0.5600 हैक्टर चा0प्रथम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी चूँकि पंजीबद्ध गोदनामा एवं तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की राजस्व रेकर्ड एवं मौका रिपोर्टानुसार वादी नाम लक्ष्मणराम दत्तक पुत्र धन्नाराम ही होना बखूबी प्रमाणित है। लिहाजा गलत रूप से दर्ज लक्ष्मणराम पुत्र अन्नाराम के स्थान पर सही व वास्तविक लक्ष्मणराम पुत्र धन्नाराम दुरूस्त दर्ज किया जावे। वादी लक्ष्मणरामपुत्र धन्नाराम को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें। तहसीलदार, सोजत को तहरीर के साथ पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.02.2019 को जारी की गई।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	00	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफरिक	शून्य	शून्य			
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner